झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–04/2024 /रॉची, दिनांक–

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, रॉची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति आवास एवं ट्रांजिट गेस्ट हाऊस के जीर्णोद्धार कार्य के लिए कुल प्राक्कलित राशि रू0 24,28,700/– (रू0 चौबीस लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति आवास एवं ट्रांजिट गेस्ट हाऊस की वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक 250 दिनांक 22.02.2024 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–1, राँची से जीर्णोद्धार कार्य हेतु अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–1, राँची का पत्रांक 763/अनु0 दिनांक 01.03.2024 द्वारा झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति आवास एवं ट्रांजिट गेस्ट हाऊस की जीर्णोद्धार कार्य के लिए राशि रू0 24,28,700/– (रू0 चौबीस लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 29/योजना दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त आवास एवं ट्रांजिट गेस्ट हाऊस के निर्माण कार्य से संबंधित झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची का पत्रांक 310 दिनांक 25.03.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के कुलपति आवास एवं ट्रांजिट गेस्ट हाऊस के जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित स्वीकृत योजना के निमित चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू0 24,28,700/– (रू0 चौबीस लाख अठाईस हजार सात सौ) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलिटेकनिक/खानन संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार के निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि में से की जायेगी।

विपत्र कोड – 43S42020279606010545

4. विषयांकित कार्य को पूर्ण करवाने की जिम्मेवारी झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की होगी तथा विश्वविद्यालय द्वारा चयनित कार्यकारी एजेन्सी विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति

5. स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन प्रदान की जायेगी तथा राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक–निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय होगें। जो वित्त विभाग के यथानिर्दिश नियमों के आलोक में ट्रेजरी चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से एक मुश्त राशि कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची को विश्वविद्यालय के संचालित पी0एल0 खाता हेतु शीर्ष 8448 में उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार राशि कार्यकारी एजेन्सी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–1, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
10. कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची तथा उनके द्वारा चयनित कार्यकारी एजेन्सी झारखण्ड PWD कोड़ के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए बैंक अंतरण के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–04/2024 /राँची, दिनांकः–
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–04/2024/05/योजना /राँची, दिनांकः– 26.05.2025
प्रतिलिपि :– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/कुलपति, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–1, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।